

फा. सं०.349/75/2017-जीएसटी  
भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क  
(जीएसटी नीति स्कंध)

\*\*\*

नई दिल्ली , दिनांक 18 अक्टूबर, 2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, केन्द्रीय कर (सभी)/ आयुक्त, केन्द्रीय कर (लेखापरीक्षा)/ प्रधान महानिदेशक, माल एवं सेवा कर अन्वेषण/ महानिदेशक, प्रणालियां

महोदय/महोदय,

**विषय: माल एवं सेवा कर व्यवसायी(प्रेक्टिशनर) के लिए आवेदन को नामांकित या अस्वीकार किए जाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के संबंध में ।**

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 2 के खण्ड (91) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उप-धारा (2) के अध्यक्षीन, बोर्ड, एतद्द्वारा उक्त आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार किए जाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के रूप में केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 83 के उप-नियम (2) के साथ पठित केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 48 की उप-धारा (1) के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए फार्म जीएसटी पीसीटी-1 में माल एवं सेवा कर व्यवसायी(प्रेक्टिशनर) के रूप में नामांकन हेतु आवेदन में पते के रूप में उद्घोषित स्थान विशेष पर क्षेत्राधिकार वाले सहायक आयुक्त/उपायुक्त को निर्दिष्ट करता है

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को नामांकन प्राधिकारी के रूप में केंद्र या राज्य को चुनने की स्वतंत्रता होगी । चयन को आवेदक द्वारा फॉर्म जीएसटीपीसीटी-1 के भाग ख के मद 1 में निर्दिष्ट किया जाना होगा ।

3. यह अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र की सामग्री को प्रचारित किए जाने हेतु उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किए जाए ।

4. उक्त अनुदेशों के कार्यान्वयन में, कठिनाई, यदि कोई हो, को कृपया बोर्ड के ध्यान में लाया जाए ।

(उपेन्द्र गुप्ता)  
आयुक्त (जीएसटी)